न्यायालयः–उपखण्ड अधिकारी, सलुम्बर जिला–सलूम्बर (राज.)

बजरिये श्री पर्वत सिंह चूण्डावत आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 239/2007

उनवान

1. देवीसिंह पिता हरीसिंह जी राजपुत आयु 53 वर्ष निवासी सलुम्बर जिला उदयपुर

–वादी

बनाम

1. राज्य जरिये श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय, उदयपुर हाल जिला सलूम्बर।
2. राज्य जरिये तहसीलदार, सलुम्बर हाल जिला सलूम्बर।
3. नगरपालिका, सलुम्बर जरिये सचिव नगर पालिका, सलुम्बर।

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा– 88, 188, 92 ए, 63 (4) राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

–::निर्णय::–

सहायक कलेक्टर सलूम्बर सलूम्बर, जिला–सलूम्बर (राज.)

दिनांकः– 18–06–2024

उपस्थितिः श्री राकेश प्रजापत – वादी
श्री गेबीलाल मेहता– प्रतिवादी संख्या 1, 2
श्री सुनील कुमार चंचावत– प्रतिवादी संख्या 3

वादी का वाद संक्षिप्त मे निम्न प्रकार है कि वादी काश्तकार होकर वादी के कब्जे काश्त की भूमि मौजा सलुम्बर तहसील सलुम्बर जिला उदयपुर हाल जिला सलूम्बर के साबिक आराजी संख्या 220 मीन जिसके मिलान क्षेत्रफल अनुसार हाल आराजी सख्या 168 रकबा 2.10 हेक्टेयर मे से 1.65 हैक्टेयर भूमि स्थित है। वादी सलुम्बर गांव का निवासी होकर जागिर रिजम्शत के समय उक्त भूमि वादी के खुदकाश्त में अंकित थी तथा उक्त भूमि पर आधिपत्य वादी का अपने पूर्वजो के समय से निर्बाध रूप से आज तक प्रतिवादीगण के ज्ञान में खुले रूप में चला आ रहा है यानि मेवाड़ राज्य के समय से उक्त भूमि यानि 35 वर्षों से भी अधिक समय से वादी के पिता के समय से आधिपत्य चला आ रहा है। उक्त भूमि वक्त के महाराणा द्वारा वादी के पूर्वज को प्रदान की गई थी तब से वादी के पिता के पश्चात वादी का आधिपत्य निर्बाध रूप चला आ रहा है। वादी के पूर्वजों द्वारा उक्त भूमि को कृषि योग्य बनाने में काफी परिश्रम व मेहनत लगी है और 8–10 वर्षों में काफी परिश्रम के पश्चात् इसे कृषि योग्य भूमि बनाया गया तथा आज भी मौके पर वादी का आधिपत्य है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी वादी द्वारा उडद, कलत, ग्वार की फसल बो रखी है। पूर्व में वादी के आधिपत्य के सम्बन्ध में प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा नोटिस प्रदान कर स्वीकारोक्ति समय–समय पर की जाती रही है। यही नहीं माननीय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 85 सन् 1998 में उक्त भूमि को वादी के नाम विनियमन कराये जाने हेतु भी निर्देश प्रदान कराया गया किन्तु अब तक वादी के खाते में भूमि अंकित नहीं किये जाने से वादी को विवश होकर उक्त वाद संस्थित करना पड़ रहा है। उक्त भूमि पर वादी का

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

आधिपत्य निर्बाध रूप से लगातार प्रतिवादी के ज्ञान में होकर विधि प्रदत्त सिद्धान्तों के अनुसार उक्त भूमि का वैधानिक मालिक कानून के अनुसार हो गया है जो कि धारा 27 अनुच्छेद 112 कानून मयाद अधिनियम एवं धारा 63 (4) राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के प्रावधानों के अनुसार उक्त कृषि भूमि पर काबिज होकर एक मात्र वादी के आधिपत्य में है इसका ज्ञान लगातार प्रतिवादीगण को रहा है. वादी उक्त भूमि का उपयोग व उपभोग वादी द्वारा कृषि कार्य किये जाने के लिए बराबर करता रहा है। वादी के जीविकोपार्जन का एक मात्र साधन कृषि ही है। इस भूमि पर सारा परिवार आश्रित है एवं वादी के पशुओं के जीवन यापन के लिए यही भूमि काम में ली जाती रही है यानि कि वादी का सारा परिवार इसी भूमि पर आश्रित है।

अतः निवेदन है कि वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के खिलाफ निम्न आशय की डिक्री प्रदान कराई जावें–

क– कि वाद पत्र की कलम संख्या 1 में उल्लेखित कृषि भूमि का वादी को खातेदार घोषित फरमाया जाकर रेकर्ड में वादी के नाम अंकित कराई जावे।

ख– कि प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादी द्वारा उपयोग–उपभोग की जा रही कृषि भूमि जिसका वर्णन वाद पत्र की कलम संख्या 1 में किया गया है, से वादी को बेदखल नहीं करें तथा वादी द्वारा की जा रही हंकाई, बुवाई, निन्दाई में किसी प्रकार की विघ्न या बाधा ही उत्पन्न करें। उक्त कार्य न तो स्वयं करें और न अपने किसी रिश्तेदारों, मित्रों, कारीगरों, एजेन्टों आदि से करावें ।

वादपत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलवी हेतु सम्मन जारी किया गया। प्रतिवादी सं. 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री गेबीलाल मेहता ने वकालतनामा एवं जवाब पेश कर अंकित किया कि वादग्रस्त भूमि मौके पर पडत है जहॉं पर वादी का या उसके पुर्वजो का कभी भी कब्जा काश्त नही रहा मौके पर भूमि पडी हो सार्वजनिक उपयोग मे चली आ रही है। भूमि वादी की है ही नही उसका कभी भी कब्जा नही रहा मौके पर भूमि पडत हो सार्वजनिक उपयोग मे आ रही है वादी का 35 वर्षो से या एक दिन से भी कब्जा नही है तो कमाने का या काश्त करने का कोई प्रश्न पैदा नही होता है। वादग्रस्त भूमि कभी भी वादी के कब्जे मे रही ही नही तो प्रतिकूल कब्जे के आधार पर वादी के स्वामी बन जाने का सवाल ही पैदा नही होता है। यह कि दावे वादी की कलम संख्या आठ अस्वीकार है अगर माननीय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर न्यायालय ने कोई आदेश दिया है तो उसकी हकरसी की पालना की जिम्मेदारी वादी की है अगर ऐसी कोई डिक्री आदेश वादी के पास है तो वह अवश्य ही अवधि परे होगा इसी बिनाह पर दावा खारिज योग्य है। वादी का वादग्रस्त भूमि से कोई सरोकार ही नही है तो उसका कोई वाद कारण या वाद लाने का अधिकार ही उत्पन्न नही होता है। अतः जवाब मे प्रार्थना है कि दावा वादी खारिज फरमाया जावे।

प्रतिवादी सं. 3 नगरपालिका सलूम्बर की ओर से अधिवक्ता श्री सुनील कुमार चंचावत ने वकालतनाम एवं जवाब पेश कर अंकित किया कि– वादपत्र की क्रम संख्या 1 से 10 तक अस्वीकार है। वादी अपना वाद साक्ष्य एवं सबूत से स्वयं साबित करे। प्रतिवादी के विरुद्ध कोई वाद कारण उत्पन नहीं होता है। गलत तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत कीया है। अतः प्रार्थना है कि वादी का वाद सव्यय खारीज फरमाया जाये।

वादी के वादपत्र एवं प्रतिवादीगण के जवाब दावे में अंकित तथ्यो के आधार पर निम्न विवाद्यक विरचित किये गये–

1. आया मौजा सलूम्बर की आराजी नम्बर 168 रकबा 1.65 हैक्टेयर जिसके साबिक आराजी नम्बर 220 मीन कृषि भूमि जागरीर रिजम्पशन के समय वादी के स्व.

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

पिता के खूद काश्त मे अंकित होकर मेवाड राज्य से निरन्तर कब्जा चला आ रहा है जिस से वादी अपने नाम दर्ज कराने का अधिकारी है?

–बजिम्मे वादी

2. आया वादग्रस्त भूमि पर वादी स्थाई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी है?

–बजिम्मे वादी

3. आया वादग्रस्त भूमि का वाद राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर के निर्णय दिनांक 15–06–1999 प्रकरणप संख्या 85/98 के तहत भूमि अपने नाम विनियमन कराये जाने का अधिकारी है?

–बजिम्मे वादी

4. आया वादग्रस्त भूमि मौके पर पडत (पहाड) होकर सार्वजनिक उपयोग की भूमि है जिस पर वादी का कोई कब्जा काश्त नही है। इसलिये दावा चलने योग्य नही है?

–बजिम्मे प्रतिवादीगण

5. आया वाद म्याद से बाहर होने से चलने योग्य नही है?

–बजिम्मे प्रतिवादीगण

6. आया वाद कब्जेयाबी के बिना एवं बिना कब्जे के चलने योग्य नही है?

–बजिम्मे प्रतिवादीगण

वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन मे गवाह पी.डब्ल्यू.–1 देवीसिंह पिता हमीर सिंह, पी.डब्ल्यू.–2 नाथू पिता कालुजी मीणा, पी.डब्ल्यू.–3 नाथु पिता मावाजी मीणा पेश किये एवं दस्तावेजी साक्ष्य मे नकल जमाबंदी, नक्शा ट्रेस, मिलान क्षैत्रफल, वर्तमान नकल जमाबंदी, मेरे विरूद्ध धारा 91 भू.रा.अधि. की कार्यवाही के नोटिस, पेनाल्टी जमा की रशीदे, माननीय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी का निर्णय की प्रति, प्रार्थना पत्र, पटवारी की रिपोर्ट, नगरपालिका को भेजा पत्र। प्रदर्श–1 से प्रदर्श–46 पेश किये।

प्रतिवादीगण ने अपने जवाब दावे के समर्थन मे कोई गवाह व साक्ष्य पेश नही कराये। पत्रावली मे तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है–

विवाद्यक नं. 1– आया मौजा सलूम्बर की आराजी नम्बर 168 रकबा 1.65 हैक्टेयर जिसके साबिक आराजी नम्बर 220 मीन कृषि भूमि जागरीर रिजम्पशन के समय वादी के स्व. पिता के खूद काश्त मे अंकित होकर मेवाड राज्य से निरन्तर कब्जा चला आ रहा है जिस से वादी अपने नाम दर्ज कराने का अधिकारी है?

यह विवाद्ययक साबित करने का का भार वादी पर है। वादी ने अपने समर्थन मे गवाह पी.डब्ल्यू. 1 देवीसिंह पिता हमीर सिंह, पी.डब्ल्यू. 2 नाथू पिता कालुजी मीणा, पी. डब्ल्यू. 3 नाथु पिता मावाजी मीणा एवं दस्तावेजी साक्ष्य मे प्रदर्श–1 से प्रदर्श–46 पेश किये। वादी स्वयं पी.डब्ल्यू. 1 गवाह मे हाजिर आया एवं अपने शपथ पत्र मे अंकित किया कि जागीर रिजम्शन के समय उक्त भूमि मेरे पिता के खुदकाश्त में अंकित थी तथा उक्त भूमि पर आधिपत्य मेरे पूर्वजो के समय से निर्बाध रूप से आज तक चला आ रहा हैं, यानि मेवाड राज्य के समय से महाराणा द्वारा मेरे पूर्वजो को उक्त वादग्रस्त भूमि प्रदान की गई थी तब से मेरे पिता के पश्चात् मेरा आधिपत्य निर्बाध रूप से चला आ रहा है। वादी अपने कथन को प्रमाणित नही कराया है ना ही ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य या सबूत पत्रावली मे पेश किया है जिससे जाहीर हो कि वादग्रस्त भूमि जागीर रिजम्पशन के समय वादी के स्व. पिता के खूदकाश्त मे अंकित हो।

विवादग्रस्त बिलानाम राजकीय भूमि पर वादी का पुराना कब्जा होने के समर्थन मौखिक साक्ष्य पी.डब्ल्यू. 1 से 3 तक हाजिर आये जिनसे प्रतिवादी अधिवक्ता द्वार जीरह की गई एव दस्तावेजी साक्ष्य में लगान व नोटिस की दिनांक 09–11–1976 से 03–12–2002 तक प्रदर्श 19 से प्रदर्श 46 तथा साथ ही खसरा गिरदावरी संवत् 2032 से 2035 प्रदर्श 12, प्रदर्श–14 संवत् 2036 से 2039 तथा प्रदर्श 13 संवत् 2040 से 2043

अतिरिक्त कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

पेश की है जिसमें कब्जा वादी का दर्ज है तथा मौके पर फसल होना अंकित है। इसी प्रकार प्रदर्श–4 की रिपोर्ट मे भी वादी का कब्जा संवत् 2033 से होना अंकित है। कमिश्नरी रिपोर्ट मे भी कस्बा सलूम्बर के आराजी नम्बर 168 भूमि पर देवीसिंह पिता हरिसिंह राजपूत निवासी सलूम्बर का कब्जा काश्त है। मौके पर उक्त भूमि के चारो तरफ बाड एवं कच्चा कोट बना हुआ है । भूमि को समतल कर श्री देवीसिंह द्वारा काश्त की जा रही है। वर्तमान मे उक्त भूमि पर देवीसिंह के अलावा किसी अन्य का कब्जा नही होना प्रकट आया है।

इससे जिससे स्पष्ट है कि वादी का विवादित भूमि पर नियमित पुराना कब्जा चला आ रहा है। विवादित भूमि से वादी को बेदखल किया हो का कोई आदेश, बेदखली का मौका पर्चा रिपोर्ट आदि पत्रावली में उपलब्ध नही है। जीरह मे वादी ने कथन किया है कि "यह सही है कि तहसीलदार सलूम्बर ने धारा 91 के तहत मुझे सिविल कारावास की सजा सुनाई गई। अज खुद कहा कि मै अपील में दोषमुक्त हुआ हूँ।" इस प्रकार पुराने कब्जे के आधारा पर वादी ने वादग्रस्त बिलानाम राजकीय भूमि अपने नाम दर्ज कराने हेतु घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत पेश किया है जो विधिसम्मत नहीं है, क्योंकि बिलानाम सरकारी भूमि पर प्रतिकुल कब्जे के आधार पर हक घोषणा का वाद चलने योग्य नहीं होता है। यदि वादी नियमन की पात्रता रखता है तो विवादित भूमि को नियमन हेतु आवंटन सलाहकार सिमिति के समक्ष पेश किया जाना था। जिस पर खातेदारी अधिकार प्रदान करने हेतु आवंटन/नियमन नियमों के अन्तर्गत आवंटन अधिकारी सक्षम होता है। अतः यह विवाद्यक वादी साबित नही कर पाया है अतः यह विवाद्यक वादी के विरूद्ध तय की जाती है।

विवाद्यक नं. 2– आया वादग्रस्त भूमि पर वादी स्थाई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी है?

यह विवाद्यक साबित करने का भार वादी पर है विवाद्यक नं. 1 वादी अपने पक्ष मे साबित नही करा पाया है। अतः वादग्रस्त भूमि पर बिना खातेदारी अधिकार के वादी राजकीय बिलानाम भूमि पर प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी नही है।

विवाद्यक नं. 3– आया वादग्रस्त भूमि का वादी राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर के निर्णय दिनांक 15–06–1999 प्रकरण संख्या 85/98 के तहत भूमि अपने नाम विनियमन कराये जाने का अधिकारी है?

उक्त विवाद्यक साबित करने का भार वादी पर है। वादी ने अपने समर्थन मे प्रदर्श–18 न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर प्रकरण संख्या 85/98 निर्णय दिनांक 15–06–1999 की प्रति पेश की। उक्त निर्णय मे माननीय न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि "तहसीलदार सलूम्बर को पत्रावली रिमाण्ड करते हुए निर्देश दिये जाते है कि प्रकरण की जांच इस सन्दर्भ में करें कि क्या नियमन के नियमों के अन्तर्गत अपीलान्ट नियमन की श्रेणी में आता है। अगर नियमन की पात्रता रखता है तो विवादित भूमि को नियमन हेतु आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष पेश करे।" अतः उक्त निर्णय से न्यायालय पूर्ण रूप से सहमत है।

विवाद्यक नं. 4– आया वादग्रस्त भूमि मौके पर पडत (पहाड) होकर सार्वजनिक उपयोग की भूमि है जिस पर वादी का कोई कब्जा काश्त नही है। इसलिये दावा चलने योग्य नही है?

यह विवाद्यक साबित करने का भार प्रतिवादी पर है। प्रतिवादीगण ने अपने समर्थन मे कोई गवाह पेश नही कराये। प्रदर्श 6 जमाबंदी में आराजी नम्बर 168 रकबा 2.10 हैक्टेयर हो कर किस्म पहाड अंकित होकर राज. सरकार के नाम दर्ज है। उक्त विवादित भूमि पर वादी अपना पुराना

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

कब्जा होना साबित करने मे सफल रहा है शेष का विवेचन विवाद्यक नं. 1 मे किया जा चुका है।

विवाद्यक नं. 5, 6– यह तनकी 5 व 6 साबित कराने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण ने अपने समर्थन मे कोई साक्ष्य एवं सबूत पेश नही कराये। अतः यह विवाद्यक प्रतिवादीगण साबित नही कर पाये है।

उपभयपक्ष अधिवक्ताओं की तनकीवार बहस सुनी गई। बहस मनन की गई। तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, साक्ष्यों एवं गवाहन के बायानो का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। वादी वादग्रस्त भूमि पर अपना कब्जा साबित करने मे सफल रहा है। वादी ने पुराने कब्जे के आधार पर वादग्रस्त बिलानाम राजकीयम भूमि पर घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188 के तहत पेश किया है जो विधिसम्मत प्रतीत नही होता है। पुराने कब्जे के आधार पर बिलानाम राजकीय भूमि पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 88 के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार नही प्रदान किये जा सकते है। अगर वादी निमयन की पात्रता रखता है तो विवादित भूमि के नियमन हेतु सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश करें।

–::आदेश::–

अतः वादी का वाद अन्तर्गत धारा–88, 188, 92 ए, 63 (4)राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार योग्य नही पाये जाने से खारिज किया जाता है। माफिक निर्णय डिक्री पर्चा पृथक से कायम हो।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

सहायक कलेक्टर सलूम्बर
सलूम्बर, जिला-सलूम्बर (राज.)

(पर्वत सिंह चुण्डावत RAS)
उपखण्ड अधिकारी, सलुम्बर
जिला–सलूम्बर

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालयः–उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर जिला–सलूम्बर (राज.)

बजरिये श्री पर्वत सिंह चूण्डावत आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 239 / 2007 रा.वा.

उनवान

1. देवीसिंह पिता हरीसिंह जी राजपुत आयु 53 वर्ष निवासी सलुम्बर जिला उदयपुर

–वादी

बनाम

1. राज्य जरिये श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय, उदयपुर हाल जिला सलूम्बर।
2. राज्य जरिये तहसीलदार, सलुम्बर हाल जिला सलूम्बर।
3. नगरपालिका, सलुम्बर जरिये सचिव नगर पालिका, सलुम्बर।

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा– 88, 188, 92 ए, 63 (4) राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट के लिए दावा वादी की ओर से एडवोकेट श्री राकेश प्रजापत एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री गेबीलाल मेहता एवं प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से एडवोकेट श्री सुनील कुमार चंचावत की उपस्थिति में इस वाद के आज तारीख 18–06–2024 को न्यायालय के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता हैं कि वादी का वाद अन्तर्गत धारा–88, 188, 92 ए, 63 (4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार योग्य नही पाये जाने से खारिज किया जाता है।

इसके वाद के खर्चे पक्षकार अपना–अपना वहन करे।

यह डिक्री आज दिनांक 18.06.2024 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गयी।

(पर्वत सिंह चूण्डावत RAS)
उपखण्ड अधिकारी सलूम्बर
सहायक कलेक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

वाद के खर्चे

वादी	रूपये	पैसे	प्रतिवादी	रूपये	पैसे
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	01	–	शक्ति–पत्र के लिए स्टाम्प	01	–
2. शक्ति–पत्र के लिए स्टाम्प	01	–	अर्जी के लिए स्टाम्प	–	–
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	01	–	प्लीडर की फीस	–	–
4. रूपये पर लीडर की फीस	–	–	सक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	–	–
5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	–	–	आदेशिका की तामील	–	–
6. कमिश्नर की फीस (तलवाना)	02	–	कमिश्नर की फीस	–	–
7. आदेशिका की तामील	–	–		–	–
योग	05	–	योग	01	–

उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर